

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर। पीठासीन अधिकारी जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्या- 14/2024  
जी.सी.एम.एस- 2024/157

निगरानीकर्ता/प्रार्थी :-

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री अमरसिंह  
जाति- राजपूत, आयु-78 साल, निवासी - ग्राम चामू, तहसील-शेखाला, जिला जोधपुर।

रेस्पोंडेन्ट/अप्रार्थीगण :-

1. जगदीश कंवर पत्नी स्व. देवीसिंह, आयु-करीब 65 साल  
जाति- राजपूत, ग्राम चामू, तहसील शेखाला, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत- चामू, जरिये सरपंच, पंचायत समिति शेखाला, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरुद्ध पट्टा क्रम संख्या 895 दिनांक 20.10.2014, बुक नम्बर-18 मिसल संख्या - 44, जो ग्राम पंचायत चामू, पंचायत समिति-बालेसर, जिला- जोधपुर द्वारा जगदीश कंवर पत्नी श्री देवी सिंह के हक में जारी किया गया

उपस्थिति:-


1. अधिवक्ता श्री मोहम्मद असलम अब्बसी (प्रार्थीपक्ष की ओर से )
2. अधिवक्ता श्री भूपत सिंह जोधा (अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से)

आदेश

दिनांक 30.12.2024

प्रार्थी के द्वारा यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत चामू पंचायत समिति-बालेसर, जिला- जोधपुर द्वारा जगदीश कंवर पत्नी श्री देवी सिंह के हक में जारी पट्टा क्रम संख्या 895 दिनांक 20.10.2014, को निरस्त करवाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत की।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भूपत सिंह जोधा ने वकालतनामा पेश किया। न्यायालय के पत्र क्रमांक एडीएम प्रथम / रीडर / कोर्ट / 2021/463 दिनांक 23.11.2021 द्वारा विवादित पट्टे से संबंधित मूल अभिलेख तलब किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय से जरिये पत्र क्रमांक ग्रापचा/2022-23/15 दिनांक 14.06.2022 बुक संख्या 18 पट्टा संख्या 895 मिसल संख्या 44/2014-15 प्राप्त होने पर प्रकरण में दिनांक

  
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

18.12.2024 को बहस सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 30.12.2024 को रखी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी प्रस्तुत कर कथन किया कि जागीरदारी प्रथा के समय से ही ग्राम चामू में शाही पोल के आगे आवादी भूमि खसरा संख्या 2113 रकबा 85 बीघा में से प्रार्थी का एक सामलाती प्लाट आया हुआ है जो अमर सिंह के हक व आधिपत्य में था तथा उनके स्वर्गवास के बाद उनके सभी वारिसान बराबर-बराबर के हकदार हुए जिसका रेस्पोजेन्ट के पति देवी सिंह ने अपने नाम गलत व गैर कानूनी रूप से पट्टा बनवा लिया। वादग्रस्त पट्टा वाली जमीन प्रार्थी की पुश्तैनी जमीन है। प्रार्थी अपने पिता के समय से ही तथा उसके बाद निरन्तर इस भूमि को बहैसियत मालिक व काबिज काम में लेता आ रहा है। हाल ही में अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 10.09.2021 को प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर अवैध निर्माण करने लग गये एवं प्रार्थी द्वारा आपत्ति करने पर निर्माण रुकवा दिया तथा दिनांक 14.09.2021 को पुनः निर्माण शुरू कर दिया जिस बाबत एक मूल वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा तथा आज्ञात्मक निषेधाज्ञा का तथा एक दीवानी विविध वाद बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बालेसर में पेश किया जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा के वाद में माननीय न्यायालय ने दिनांक 20.09.2021 को मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया गया जिसके विरुद्ध अप्रार्थी ने जिला न्यायालय जोधपुर में अपील पेश की जो दिनांक 18.10.2021 को खारिज कर दी गई। मूल वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा में अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त जायदाद का पट्टा अपने पिता देवी सिंह व अपनी माता जगदीश कंवर के हक में कार्यालय ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.08.2014 को जारी करना बताया। रेस्पोजेन्ट द्वारा न्यायालय में जबाब पेश करने पर प्रार्थी को विवादित पट्टा बाबत दिनांक 20.09.2021 को प्रथम बार जानकारी हुई। जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया वह भूमि पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत चामू को प्रारम्भ से अंत तक कभी नहीं था। जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया उस भूमि पर कभी भी किसी का भी कच्चा या पक्का किसी भी प्रकार का कोई निर्माण/कब्जा/रहवास कुछ नहीं था और ही वर्तमान समय में है। पट्टाधारी स्व. देवी सिंह जी गढ़ की पोल के अन्दर एक मकान (नाप 70 गुणा 110 फीट है जिसमें 8 कमरे बने हुए हैं) में पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से इस मकान में निवास कर रहे थे और अभी भी उनके वारिसान निवास कर रहे हैं और देवी सिंह जी के नाम का बिजली व पानी का कनेक्शन भी गढ़ के मकान में है। इसके अतिरिक्त हाइवे पर 7 दुकाने हैं इस प्रकार विवादित भूमि पर पट्टेधारी देवी सिंह का कभी भी कब्जा नहीं रहा क्यों कि देवी सिंह गढ़ के मकान में निवास करते थे और उसके अलावा अन्य दो स्थानों पर भी देवी सिंह के मकान हैं इस



  
अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

प्रकार देवी सिंह भूमिहीन नहीं थे और न ही वादग्रस्त स्थान पर 50 साल पुराना कब्जा था। वादग्रस्त भूमि प्रारम्भ से आज तक खाली व समतल मैदान की भूमि है। विवादित भूमि पर कब्जे वाबत देवी सिंह के कोई सबूत दस्तावेज नहीं है इसके विपरीत अन्य भूमि पर पानी व बिजली का कनेक्शन देवी सिंह जी के नाम होने से अन्य भूमि पर कब्जा साबित होता है। पति पत्नी एक मकान में रहेगे और एक ही मकान में कब्जा माना जायेगा और एक ही पट्टा बनेगा। पति के नाम से 300 वर्ग गज अलग पट्टा बनाया गया और इसी भूमि के पास वाली अगली क्रम संख्या पर पत्नी के नाम से 280 वर्ग गज का एक ही तारीख 20.10.2014 को पट्टा जारी किया गया जो सरपंच के साठगांठ को साबित करता है। विवादित पट्टा नियम 157 (1)(क) व (ख) एवं नियम 158 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के विरुद्ध जारी किया गया क्यों कि 50 साल से देवी सिंह गढ़ के मकान में रह रहा था और उनका देहान्त भी गढ़ के मकान में हुआ, देवी सिंह का 50 साल पुराना कब्जा दस्तावेजात साबित नहीं है। पट्टा जारी करने के लिए न तो सर्वे किया गया, न ही मौके का निरीक्षण किया गया, न ही मौके का नक्शा बनाया गया, न ही सर्वे रिपोर्ट बनाई गई, न ही पट्टा जारी करने के लिये आवेदन किया गया, न ही आवेदन पर आवश्यक जांच या अनुसंधान किया गया और न ही आवेदन का सत्यापन किया गया और न ही आवेदन स्वीकार करने का कारण लिखा यानि पट्टा जारी करने के आवेदन से लेकर पट्टा जारी करने के अंतिम आदेश तक कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और न ही कोई पत्रावली रिकार्ड पर है। वादग्रस्त भूमि पंचायत की भूमि नहीं है और न ही थी और इस भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार पंचायत को नहीं था तथा पंचायत चामू ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बुक नम्बर 18, मिसल संख्या 44, पट्टा क्रमांक 895 दिनांक 20.10.2014 को जारी किया गया, जो निरस्त किया जावे।



1. उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, दौराने बहस उभयपक्षों के अभिभाषकों की ओर से प्रस्तुत बहस व सुसंगत विधि प्रावधानों भली भांति गहन अध्ययन कर उन पर गंभीरतासे विचार किया।
2. प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने निगरानी में अंकित अभिकथनों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है। यह भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं है तथा ग्राम पंचायत को इस भूमि पर पट्टा जारी करने का कोई क्षेत्राधिकार ही नहीं है। वक्त जागीर से ही यह भूमि ग्राम चामू के जागीरदार श्री अमरसिंह जी के मालिकाना हक की है तथा उनके देहान्त के पश्चात् प्रार्थी के आधिपत्य में है, परन्तु प्रत्यर्थी गढ़ की पोल के अन्दर बने

  
अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

प्रकार देवी सिंह भूमिहीन नहीं थे और न ही वादग्रस्त स्थान पर 50 साल पुराना कब्जा था। वादग्रस्त भूमि प्रारम्भ से आज तक खाली व समतल मैदान की भूमि है। विवादित भूमि पर कब्जे बाबत देवी सिंह के कोई सबूत दस्तावेज नहीं है इसके विपरीत अन्य भूमि पर पानी व बिजली का कनेक्शन देवी सिंह जी के नाम होने से अन्य भूमि पर कब्जा साबित होता है। पति पत्नी एक मकान में रहेगे और एक ही मकान में कब्जा माना जायेगा और एक ही पट्टा बनेगा। पति के नाम से 300 वर्ग गज अलग पट्टा बनाया गया और इसी भूमि के पास वाली अगली क्रम संख्या पर पत्नी के नाम से 280 वर्ग गज का एक ही तारीख 20.10.2014 को पट्टा जारी किया गया जो सरपंच के सांठगांठ को साबित करता है। विवादित पट्टा नियम 157 (1)(क) व (ख) एवं नियम 158 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के विरुद्ध जारी किया गया क्यों कि 50 साल से देवी सिंह गढ़ के मकान में रह रहा था और उनका देहान्त भी गढ़ के मकान में हुआ, देवी सिंह का 50 साल पुराना कब्जा दस्तावेजात साबित नहीं है। पट्टा जारी करने के लिए न तो सर्वे किया गया, न ही मौके का निरीक्षण किया गया, न ही मौके का नक्शा बनाया गया, न ही सर्वे रिपोर्ट बनाई गई, न ही पट्टा जारी करने के लिये आवेदन किया गया, न ही आवेदन पर आवश्यक जांच या अनुसंधान किया गया और न ही आवेदन का सत्यापन किया गया और न ही आवेदन स्वीकार करने का कारण लिखा यानि पट्टा जारी करने के आवेदन से लेकर पट्टा जारी करने के अंतिम आदेश तक कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और न ही कोई पत्रावली रिकार्ड पर है। वादग्रस्त भूमि पंचायत की भूमि नहीं है और न ही थी और इस भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार पंचायत को नहीं था तथा पंचायत चामू ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बुक नम्बर 18, मिसल संख्या 44, पट्टा क्रमांक 895 दिनांक 20.10.2014 को जारी किया गया, जो निरस्त किया जावे।



1. उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, दौराने बहस उभयपक्षों के अभिभाषकों की ओर से प्रस्तुत बहस व सुसंगत विधि प्रावधानों भली भांति गहन अध्ययन कर उन पर गंभीरतासे विचार किया।
2. प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने निगरानी में अंकित अभिकथनों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है। यह भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं है तथा ग्राम पंचायत को इस भूमि पर पट्टा जारी करने का कोई क्षेत्राधिकार ही नहीं है। वक्त जागीर से ही यह भूमि ग्राम चामू के जागीरदार श्री अमरसिंह जी के मालिकाना हक की है तथा उनके देहान्त के पश्चात् प्रार्थी के आधिपत्य में है, परन्तु प्रत्यर्थी गढ़ की पोल के अन्दर बने

  
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

पक्के भवन में अपने पति के साथ निवास करती है। जन्मतिथि 1.1.1951 है। ने ग्राम पंचायत से मिलावट करके गलत पट्टा बना लिया है। पट्टा प्राप्त करने हेतु पेश किए गए प्रार्थना पत्र के संलग्न पेश शपथ पत्र विधि अनुसार प्रमाणित नहीं है तथा पहचान भी अंकित नहीं है। इन कागजातों पर हस्ताक्षर भी अलग-अलग है। स्वतंत्र गवाह नहीं है। एक ही तारीख 20.10.2014 को पति देवीसिंह के नाम पट्टा संख्या 894 व पत्नी जगदीश कंवर के नाम पट्टा संख्या 895 जारी किया है। देवीसिंह स्वयं सरपंच रह चुके हैं। पड़ोसी के रूप में देवीसिंह को गवाह बनाया है, जो हितबद्ध गवाह है। गवाह के शपथ पत्रों में स्थान व तारीख अंकित नहीं है दोनों पट्टों में साझा गवाह गणपतलाल है जिसमें गवाह की आयु नहीं लिखी है। गवाह किशोर सिंह की आयु- 42 वर्ष लिखी है, तो वह 50 वर्ष पूर्व की घटना की पुष्टि कैसे कर सकता है? दोनों पट्टों में समान व्यक्ति ही गवाह है। आपत्ति दिनांक 21.9.2014 को जारी कर एक माह में आपत्ति मांगी है जो 21.10.2014 को माह में आपत्ति मांगी है जो 21.10.2014 को पूरी होती है, परन्तु पंचायत की आर्डर शीट दिनांक 05.10.2014 में ही एक माह पूरा होना अंकित कर पट्टा जारी करने का निर्णय किया है तथा राशि रुपये 200 जमा कराने के आदेश दिये हैं तथा 20.10.2014 को ही पट्टे जारी कर दिये। जो अवैध है। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 05.04.2014 से लेकर 20.10.2014 तक की अवधि में प्रार्थना पत्र, शपथपत्र, नोटिस, आर्डरशीट, पट्टों पर एक ही स्याही से एक जैसी लिखावट है जो व्यावहारिक दृष्टि से कतई सम्भव नहीं है। आपत्ति हेतु जारी नोटिस दिनांक 20.9.2014 को किस तारीख को किस स्थान पर चस्था किया तथा गवाहों के नाम, पते, उम्र इत्यादि अंकित नहीं है। इस प्रकार रिकार्ड से जाहिर है कि पूरी कार्यवाही यांत्रिक तरीके से फर्जी तौर से की जाकर विधि प्रावधानों के विरुद्ध पट्टा जारी किया है। पट्टा संख्या 895 जगदीश कंवर के नाम जारी किया है, जिसमें कब्जा 50 वर्ष से अधिक का बताया है। जगदीश कंवर 18 वर्ष की उम्र में शादी होकर आई है, तो 2014 में 50 वर्ष की अवधि का भूखण्ड पर कब्जा कैसे हो सकता है? तथा पति व पत्नी दोनों के नाम अलग-अलग बहुत बड़े भूखण्डों का पट्टा जारी करना गलत है। यह सारी कार्यवाही संदिग्ध है तथा मिलावट से की गई है। हस्तगत निगरानी पेश करने की कोई म्याद नहीं है इन संदिग्ध परिस्थितियों के कारण पट्टा निरस्त योग्य है। निगरानी स्वीकार की जावे।



3. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री भूपतसिंह जोधा ने लिखित बहस पेश की, जिसकी प्रति याची के विद्वान् अधिवक्ता को दी गई। लिखित बहस अनुसार

*sm*  
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि रिहायशी पुश्तैनी पोल के बाहर आना बताया जाने से यह भूमि पुश्तैनी नहीं है तथा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है। जिस पर प्रत्यर्थी का पुराना कब्जा होने से ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया पट्टा सही है। प्रार्थी को पुश्तैनी भूमि पर अपना हक घोषित करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए। इस न्यायालय को निगरानी सुनने का अधिकार ही नहीं है। प्रार्थी को सन् 2014 से पट्टे की जानकारी है, परन्तु याचिका 2020 में पेश की है, जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी ने सिविल न्यायालय में वाद पेश कर रखा है जिसमें अधिकारों का निर्णय हो जायेगा। ग्राम पंचायत ने पूरी विधिक प्रक्रिया अपना कर पट्टा जारी किया है। सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर होने के आरोप के बावजूद प्रार्थी ने कोई कार्यवाही न्यायालय में नहीं की है। अतः निगरानी याचिका खारिज की जावे।

4. प्रत्यर्थी की उक्त लिखित बहस का प्रतिवाद करते हुए रिबटल बहस में प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि पंचायत एक्ट की धारा 97 में निगरानी याचिका पेश करने हेतु कोई म्याद नहीं है तथा सरपंच से मिलावट कर गलत तरीके से यह पट्टा प्राप्त किया है। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत - (2000) AIR (Raj) 206 (चिमनलाल बनाम राजस्थान राज्य), (2000) AIHC 2648 (देवीलाल बनाम राज. राज्य), 2000 (AIHC) 2574 (कमलेश बनाम राज. राज्य), 2009 (4) CDR 1962 1962 (RAJ) (DB) (भीयाराम बनाम अतिरिक्त कलक्टर, बाड़मेर), 1999 DNJ 672 (नारायण लाल बनाम स्टेट), तथा (2018) 3RLW 2325 (घेवर चन्द बनाम राजस्थान राज्य), पेश किए।
5. उपर्युक्त तथ्यों, तर्कों एवं कानूनी प्रावधानों के विश्लेषण से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि :-



(अ) निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत, न्यायिक आदेश/विनिश्चय पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आबादी भूमि श्री अमरसिंह की मालिकाना हक की सम्पत्ति वक्त जागीर से है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर अधिग्रहण अधिनियम, 1952, राज्य में लागू होने के पश्चात् जागीरदारों की जागीर की कृषि भूमियां एवं अन्य परिसम्पतियां को अधिग्रहण किया गया तथा धारा 23 में जागीरदार की व्यक्तिगत सम्पतियां/खुदकाशत की कृषि भूमियां सहित अन्य सम्पतियों को अधिग्रहण से मुक्त रखा गया एवं इनका निर्धारण जागीर कमिश्नर को सौंपा गया। प्रार्थी ने विवादग्रस्त आबादी भूमि का जागीर कमिश्नर द्वारा श्री अमरसिंह जी के पक्ष में निर्धारण करने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है तथा न ही उनके हक को साबित करने का कोई


*SM*  
श्रीमत् जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जयपुर

दस्तावेज पेश किया है। दोनों पक्षों द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि पोल के बाहर की भूमि है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने सक्षम न्यायालय से अधिकारों की घोषणा किये जाने का भी कोई आदेश/डिक्री पेश नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश जोधपुर द्वारा दीवानी अपील संख्या - 22/2021 में पारित निर्णय दिनांक 18.10.2021 की फोटो प्रति पेश की है जिसका सम्मानपूर्वक अवलोकन करने से स्पष्ट हुआ कि यह आदेश सिर्फ अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1&2, CPC से संबंधित है तथा टाइटल की घोषणा बाबत पारित अंतिम डिक्री नहीं है। उक्त निर्णय दिनांक 18.10.2021 में भी माननीय न्यायालय ने खसरा नं. 2113 रकबा 85 बीघा भूमि को गेर मुमकिन आबादी राजकीय सिवाय चक होना जमाबंदी अनुसार दर्ज होना अंकित किया है। मात्र अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने व आज्ञात्मक व्यादेश जारी करने के वाद दायर करने से प्रार्थी को भूमि का मालिक नहीं माना जा सकता। अतः वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार विवादग्रस्त भूमि गेर मुमकिन आबादी है जिस पर ग्राम पंचायत की अधिकारिता है।

(ब) आबादी भूमि पर नियमानुसार पट्टे जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। साथ ही अगर ग्राम पंचायत अवैध तरीके से/विधि प्रावधानों का उल्लंघन कर पट्टे जारी करती है, तो राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति के प्रार्थनापत्र पर या स्वप्रेरणा से कभी भी पंचायत से रिकार्ड मंगवाकर उसका परीक्षण कर उचित आदेश पारित कर सकता है। अतः प्रार्थी का यह कथन कि ग्राम पंचायत को विवादित पट्टा जारी करने का (विवादित भूमि पर) अधिकार नहीं था, मानने योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

(स) इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी का यह आक्षेप भी अस्वीकार किया जाता है कि निगरानी म्याद बाहर पेश की है तथा पट्टा रजिस्टर्ड है, उसे सिर्फ सिविल न्यायालय ही खारिज कर सकता है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत (2000) AIR (Raj) 206 (चिमनलाल बनाम राजस्थान राज्य), (2000) AIHC 2648 (देवीलाल बनाम राज. राज्य), 2000 (AIHC) 2574 (कमलेश बनाम राज. राज्य), 2009 (4) CDR 1962 1962 (RAJ) (DB) (भीयाराम बनाम अतिरिक्त कलक्टर, बाड़मेर), 1999 DNJ 672 (नारायण लाल बनाम स्टेट), तथा (2018) 3RLW 2325 (घेवर चन्द बनाम राजस्थान राज्य), न्यायिक दृष्टांत से हम सहमत हैं। अतः याचिका को सुनने का अधिकार इस न्यायालय को प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय को है। तथा याचिका अन्दर



  
अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

म्याद सुमार मानी जाती है। अतः गुणावगुण के आधार पर निगरानी का निपटारा किया जा रहा है।

6. (अ) प्रत्यर्थी को यह पट्टा संख्या 895 ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत प्रारूप - 23 क में इस आधार पर जारी किया है कि प्रार्थी का पचास वर्षों से अधिक समय से पुराने घर पर कब्जा है। यह पट्टा रियायती दर पर नियम 158 के तहत जारी नहीं किया गया है। नियम 157 (1) में आबादी भूमि पर किसी व्यक्ति का पचास वर्षों से अधिक समय का आवासीय मकान अवस्थित होने के आधार पर ही जारी किया जा सकता है। प्रार्थी देवीसिंह ने, जो प्रार्थना पत्र दिनांक 5.4.2014 को पेश किया है, उसमें शपथ पत्र में कब्जे की अवधि का कॉलम ही रिक्त है तथा भूखण्ड पर निर्मित पुराने भवन के तथ्यों को साबित करने हेतु कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। पड़ोसियों के बयानों में भी सिर्फ कब्जा होने का अंकन है। मौका जांच कमेटी ने भी भूखण्ड पर पुराना आवास निर्मित होना जाहिर नहीं किया है। मात्र छपे हुए फार्म पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रकार नियम 157 (1) के अन्तर्गत नियमितीकरण करने हेतु निर्धारित शर्त-निर्मित आवासीय मकान होना साबित नहीं है तथा पंचायत ने रिक्त भूखण्ड का 280 वर्गगज का पट्टा जारी किया है, जो विधि प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

(ब) उक्त के अतिरिक्त पट्टा जारी करने में जो प्रक्रिया पंचायत ने अपनाई है, वह संदिग्ध है। इस संबंध में प्रार्थी ने जो आक्षेप उठाए हैं, उससे यह न्यायालय सहमत हैं जिसमें एक ही हैंड राइटिंग से सारी कार्यवाही लिखा होना, पत्नी/पति का एक दूसरे के लिए गवाह बनना, एक ही परिवार में पति व पत्नी को 300 एवं 280 वर्गगज का पट्टा एक ही दिन जारी करना, सार्वजनिक नोटिस दिनांक 21.9.2014 को चरपा करने की तारीख नहीं लिखना, चस्पानगी स्थान का नाम नहीं लिखना, गवाहों के पते अपूर्ण होना शामिल है तथा सार्वजनिक आपत्ति प्रस्तुत करने की एक माह की अवधि समाप्त होने से पहले ही दिनांक 5.10.2014 को पट्टा जारी करने का निर्णय पारित करना गंभीर अनियमितताएं हैं तथा पूरी प्रक्रियाएं संदिग्ध होने से दूषित है।

(स) अप्रार्थी के अभिभाषक का यह तर्क कि पंचायत द्वारा जारी पट्टे का पंजीयन विभाग में पंजीयन करा दिया गया है अतः पंजीबद्ध पट्टा-विलेख को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चियों में यह तय कर दिया गया है कि जब कोई पट्टा गैरकानूनी तरीके से जारी किया गया हो, तो 1994 के अधिनियम की धारा 97 के तहत पट्टे की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार है तथा




अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर


उसे निरस्त किया जा सकता है, भले ही पट्टा विलेख का पंजीयन हो गया हो। इस संबंध में RJT 2017 (3) पेज-1995 (घेवरचन्द व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित विनिश्चय पूर्ण रूप से लागू होता है तथा प्रत्यर्थी की आपत्ति सम्मानपूर्वक अस्वीकार की जाती है।

उक्त समग्र विवेचन एवं विश्लेषणानुसार इस पट्टे को जारी करने बाबत ग्राम पंचायत द्वारा की गई समस्त कार्यवाही व उसके जरिए जारी आक्षेपित पट्टा संख्या 895 दिनांक 20.10.2014 बुक संख्या 18, मिसल संख्या-44, ग्राम पंचायत चामू को निरस्त किया जाना न्यायोचित है तथा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। ग्राम चामू का पट्टा संख्या 895, बुक संख्या 18, मिसल संख्या 44, जारी दिनांक 20.10.2014, बहक जगदीश कंवर पत्नी श्री देवीसिंह, ग्राम चामू जो ग्राम पंचायत चामू द्वारा जारी किया गया है, को एतद्वारा खारिज किया जाता है तथा मिसल संख्या 44 में की गई समस्त कार्यवाही अपास्त की जाती है। विवादग्रस्त पट्टा निरस्तीकरण के फलस्वरूप निगरानीकर्ता को निरस्त पट्टे की भूमि पर किसी भी प्रकार के अधिकार, हक, हित, स्वत्व आधिपत्य इस निर्णय की आड़ में प्राप्त नहीं होंगे। निर्णय पत्रावली के संलग्न हो। निर्णय की प्रति मय ग्राम पंचायत की मूल पत्रावली को ग्राम पंचायत चामू को तुरन्त लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



  
(जवाहर चौधरी)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 30.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(जवाहर चौधरी)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर